विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राज्य आबकारी, बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर तथा खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 18 प्रस्तर शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 502.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 19.01 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 47.79 लाख की वसूली की है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

अध्याय–I: सामान्य

वर्ष 2019–20 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,66,393.18 करोड़ थी जिसमें से राज्य की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 2,04,530.91 करोड़ (55.82 प्रतिशत) थी। भारत सरकार ने ₹ 1,61,862.27 करोड़ (44.18 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों का राज्यांश ₹ 1,17,818.30 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 32.16 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 44,043.97 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 12.02 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक राज्य के अपने कर राजस्व में 51.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्षों (सारणी 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

अध्याय–II: राज्य आबकारी

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क/बयाना धनराशि (₹ 6.75 करोड़), अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (₹ 63.83 करोड़) और प्रतिभूति जमा (₹ 32.26 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 102.84 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये, अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.3)

आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 6.20 करोड़ छोटी बोतलों पर ₹ 4.30 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि हुई थी।

(प्रस्तर 2.4)

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 355.54 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, कर की दरों को सत्यापित किये बिना, कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 26.44 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

(प्रस्तर 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1,571.43 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर का पता लगाने में विफल रहे थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 155.77 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.4)

व्यापारी ने ₹ 5.26 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती को विलम्ब से जमा किया था, जिस पर ₹ 1.18 करोड़ का ब्याज प्रभार्य था, किन्तु कर–निर्धारण के समय प्रभारित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.5)

व्यापारियों ने ₹ 99.46 लाख की धनराशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित कुल ₹ 1.60 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुत्क्रमित रही।

(प्रस्तर 3.6)

कर निर्धारण प्राधिकारी, कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय एक व्यापारी द्वारा ₹ 10.64 करोड़ धनराशि के स्रोत पर कर की कम कटौती का पता लगाने में विफल रहे।

(प्रस्तर 3.7)

अध्याय–IV: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

कुल 13,284 परिवहन वाहन एवं 6,045 निजी वाहन वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित थे एवं फिटनेस शुल्क ₹ 2.03 करोड़ तथा ₹ 9.66 करोड़ अर्थदण्ड आरोपण के लिए उत्तरदायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने एवं परिवहन वाहनों के परमिट निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

(प्रस्तर 4.3)

4,467 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 5.65 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।

(प्रस्तर 4.4)

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित 1,875 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क की धनराशि ₹ 3.28 करोड़ की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 4.5)

परमिट का नवीनीकरण कराए बिना सड़क पर संचालित 1,960 वाहनों से परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 1.82 करोड़ की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 4.6)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 312 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना बसों पर ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना।

(प्रस्तर 4.7)

तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये 440 वाहनों के कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली करने में कराधान अधिकारी विफल रहे।

(प्रस्तर 4.8)

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

वर्तमान नियामक ढांचे के अन्तर्गत, पट्टाधारक को वैध उत्खनन के लिये देय राशि के विपरीत अवैध खनन के लिये कम अर्थदण्ड देना पड़ता है, जो अवैध खनन को प्रोत्साहित करता है।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि सरकार को नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों में खा0 एवं ख0वि0 और वि0 अधिनियम की धारा 21(5) के संदर्भ में 'खनिज मूल्य' और 'रॉयल्टी' को स्पष्ट रूप से परिभाषित/पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा यह भी संस्तुति करता है कि सरकार रॉयल्टी की दरों की समीक्षा कर सकती है जो नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों के पड़ोसी क्षेत्रों जहाँ खनिज मूल्य की बोली पहले ही हो चुकी है, में अवैध खनन के मामलों में लागू होगी।

(प्रस्तर 5.3)

जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में देय अंशदानों को 12 पट्टा विलेखों के प्रतिफल में सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया जाना।

(प्रस्तर 5.4)

59 पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी ₹ 47.20 करोड़ एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान ₹ 8.22 करोड़ जमा न किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(प्रस्तर 5.5)

खनन विभाग एवं अन्य विभागों की कार्यदायी संस्थाओं के बीच समुचित समन्वय के अभाव में, बिना वैध प्राधिकार के सिविल कार्य करने हेतु खनिजों को उठाने वाले ठेकेदारों से 1,588 मामलों में रॉयल्टी ₹ 3.97 करोड़, 'खनिज मूल्य' ₹ 90.41 करोड़ एवं देय अर्थदण्ड ₹ 3.97 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुदृढ़ करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है और वैध पास धारण करते है।

(प्रस्तर 5.6.1)

रॉयल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में एमएम–11 प्रपत्र प्रस्तुत करने में शामिल कपटपूर्ण गतिविधियों को इंगित करने में विभाग विफल रहा एवं रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड ₹ 4.87 करोड़ की धनराशि ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग इन मामलों की विस्तार से जाँच करे और यदि कोई गम्भीर चूक पायी जाती है तो वह जिम्मेदारी तय करे एवं उचित कार्रवाई करे।

लेखापरीक्षा यह भी संस्तुति करता है कि एमएम–11 प्रपत्रों के व्यापक दुरूपयोग को रोकने के लिये वैध परिवहन पास के अन्तर्गत खनिजों का परिवहन सुनिश्चित करने के लिये सरकार एक प्रभावी तंत्र स्थापित करे।

(प्रस्तर 5.6.2)

ईंट भट्ठा स्वामियों से 981 मामलों में रॉयल्टी ₹ 7.37 करोड़, विनियमन शुल्क ₹ 4.89 करोड, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 21.34 लाख एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान ₹ 70.73 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी एक मुश्त समाधान योजना में विनिर्दिष्ट थे।

(प्रस्तर 5.7)